न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1323/2005/नागौर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।

....अपीलार्थी

बनाम

1– गणेशाराम )
2– परसाराम )
3– रामनिवास )
4– सीताराम )
5– तिलोकाराम )
6– शिवदानराम गोद पुत्र रीराम जाति जाट निवासी ग्राम भावण्डा तहसील खींवसर जिला नागौर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत,उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः 24–06–19

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं0 225/2003 में पारित किए गए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–02–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध सहायक कलक्टर, नागौर के न्यायालय में पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब

किया। प्रतिवादी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय ने उसके विरूद्ध दिनांक 26–12–95 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए योग्य अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2003 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–02–2004 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

3– सर्वप्रथम हम भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रा0 पत्र व शपथपत्र में अंकित तथ्यों के मध्य नजर नरम रूख अपनाते हुए भाारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रा0 पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः धारा 5 का प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर द्वितीय अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

4– तत्पश्चात् हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण पर सुनी।

5– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी/वादी यह सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा कि उनकी खातेदारी का कब्जा हाल खसरा नं0 358 में मिलाकर गैर मु0 अंगौर दर्ज कर दिया गया हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मिलान क्षैत्रफल या नक्शा

ट्रेस पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वादी के वाद को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में त्रुटि की है, उनका निर्णय न्याय, नियम वे अभिलेख के विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि हाल खसरा नं0 358 गैर मु0 मंगरा सरकारी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा सरकारी भूमि है, जिन पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा दावा दायरी के दिन आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त होने की साक्ष्य ही पेश की गई। उनका यह भी तर्क था प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया मात्र बिना किसी आधार के यह अंकित किया कि समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। उनका तर्क था कि प्रत्यर्थी की भूमि राजकीय भूमि में शामिल की जाती तो उसे संवत् 2015 के आसपास उज्रदारी करनी चाहिए किन्तु उसने 30 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे यह स्पष्ट है कि उसने राजकीय भूमि हड़पने के उदेश्य से दावा किया, जिसे विचारण न्यायालय ने निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक दृष्टि से उचित नहीं है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर उसे निरस्त किया जावें।

6– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि प्रथम अपील न्यायालय ने विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन करते हुए अपना निर्णय प्रदान किया है। उनका तर्क था कि प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप

किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उनका तर्क था कि जमाबंदी संवत् 2010 से 2020 व गिरदावरी संवत् 2022 में प्रत्यर्थी सं0 6 के पिता श्री राम पुत्र कालू जाट का कब्जा काश्त खातेदार के रूप में होना स्पष्ट है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से विवादित आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना तथा विवादित आराजी उसकी खातेदारी का होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया द्वितीय अपील निरस्त की जावें।

7– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

8– प्रश्नगत अपील में वादी द्वारा वाद इस आधार पर पेश किया गया है कि उसकी खातेदारी की भूमि भू प्रबंध के दौरान गलत रूप से राजकीय भूमि अंकित कर दी गई है। उसका तर्क है कि पुराने खसरा नं0 334 जो कि उसकी खातेदारी का था, उसमें से 39 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी नया खसरा नं0 432 बनाकर उसके नाम रखी गई जबकि शेष 4 बीघा भूमि जो उसके कब्जे काश्त की थी हाल ख0नं0 398 में सम्मिलित कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी ने समस्त अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् यह पाया कि वादी यह तथ्य सिद्ध करने में असफल रहा है कि 358 की भूमि में उसकी 4.15 बीघा भूमि सम्मिलित की गई है। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है वादी ने वाद के समर्थन में कोई नक्शा ट्रेस पेश नहीं किया है, क्योंकि इस विवाद के निस्तारण हेतु पुराने व नये नक्शे का मिलान किया जाना आवश्यक था, ऐसी स्थिति में वांछित नक्शा ट्रेस के अभाव में वाद स्वीकार किया जाना संभव नहीं था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने

मिलान खसरा सं0 2007 व नक्शा ट्रेस नया 2015 के आधार पर खसरा नं0 358 की 4 बीघा भूमि को खातेदारी की भूमि सिद्ध होना अंकित किया है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना अभिलेख का परीक्षण किए तथा बिना आधार के जो निर्णय पारित किया है, वह अभिलेख व विधिक प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। यह वादी का दायित्व था कि वह अभिलेख के आधार पर संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करता। जब विचारण न्यायालय ने अभिलेख के आधार पर वाद को सिद्ध नहीं पाया था तो राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इस निर्णय को नहीं मानने के संबंध में स्पष्ट कारण एवं अभिलेख का विवेचन अंकित करना चाहिए था जो इस मामले में नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में वादी अभिलेख के आधार पर अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

9– उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–02–2004 निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर मु0 नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य